



मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)
राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
दूसरी मंजिल, भाई वीर सिंह साहित्य सदन
भाई वीर सिंह मार्ग, गोल मार्केट, नई दिल्ली - 110001

Directorate General of Anti-Profitteering

(Central Board of Indirect Taxes and Customs)
Department of Revenue, Ministry of Finance
Second Floor, Bhai Vir Singh Sahitya Sadan
Bhai Vir Singh Marg, Gole Market, New Delhi - 110001



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

011-23741544-45

dgap.cbic@gov.in

011-23741542

F. No. A-19011/17/2018

Date: 11.05.2022

निविदा सूचना

मुनाफाखोरी रोधी महानिदेशालय, फार्म एवं कंपनियों से निम्नलिखित एयर कंडीशनर के पूर्ण अनुरक्षण/रखरखाव हेतु वार्षिक आधार पर मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित करता है।

वार्षिक रखरखाव में शामिल होनेवाले एयर कंडीशनर की सूची

S.NO	Make & Model	Period	Qty	Situated at
1.	Voltas Ductable Air Conditioners 7.5 Ton	1 वर्ष	2	हाल
2.	Voltas Cassette Air Conditioners 2.0 Ton	1 वर्ष	2	कॉन्फ्रेंस रूम नंबर 3
3.	Hitachi 1.5 Ton Split AC (with stabilizer)	1 वर्ष	2	कमरा नंबर 1
4.	Voltas Window 1.0 ton AC (with stabilizer)	1 वर्ष	1	कमरा नंबर 2
5.	Voltas split AC (2.0 TON) (with stabilizer)	1 वर्ष	1	कमरा नंबर 7
6.	Voltas split AC (2.0 TON) (with stabilizer)	1 वर्ष	1	कमरा नंबर 9
7.	Voltas split AC (2.0 TON) (with stabilizer)	1 वर्ष	1	कमरा नंबर 10
8.	Voltas split AC (1.5 TON) (with stabilizer)	1 वर्ष	1	कमरा नंबर 11
9.	Voltas split AC (1.5 TON) (with stabilizer)	1 वर्ष	1	कमरा नंबर 12
10.	Voltas Window AC (1.5 TON) (with stabilizer)	1 वर्ष	1	कमरा नंबर 14
11.	Voltas Window AC (1.5 TON) (with stabilizer)	1 वर्ष	1	कमरा नंबर 15

नियम एवं शर्तें:

सभी निविदाकारों को केंद्रीय/राज्य के सरकारी विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र यूनिट एवं अन्य ख्याति प्राप्त इकाइयों में AMC प्रदान करने का कम से कम पिछले पाँच वर्ष का अनुभव होना चाहिए / निविदा के साथ सभी ग्राहकों के नाम एवं उनके साथ किए गए संविदा पत्र भी जमा करने होंगे ।

निविदाकारों को PAN, TAN, VAT एवं वस्तु एवं सेवा कर रजिस्ट्रेशन की कापी जमा करनी होगी।

टेंडर की सभी शर्तों को स्वीकारने का एक सामान्य वचन देते हुए , एक पत्र जो अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हों , जमा करना पड़ेगा।

विभाग बिना कोई कारण बताए किसी या सभी टेंडर को निरस्त करने का अधिकार रखता है जिसमें सबसे कम दर की टेंडर भी शामिल होगी।

विभाग टेंडर को किसी भी नियम एवं शर्तों को परिवर्तित करने का अधिकार रखता है।

विभाग किसी भी निविदाकार से व्यक्तिगत रूप से मिलना या किसी भी तरह का विचार -विमर्श नहीं करेगा और न ही किसी विराध-पत्र की सुनवाई करेगा। टेंडर में किसी भी तरह का फेरबदल मान्य नहीं होगा।

विभाग को अधिकार होगा कि टेंडर को सूची में शामिल सभी उपकरणों के लिए लागू करें या अलग अलग लागू करें । विभाग का निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा ।

जिस वेंडर की दरें स्वीकार्य होंगी, उसे AMC की कुल कीमत का 3% बैंक गारंटी की तौर पर जो महानिदेशक मुनाफाखोरी रोधी महानिदेशालय को देय हो जमा करना पड़ेगा ।

केवल वही वेंडर जो उपर्युक्त नियम एवं शर्तों को पूरा करते हैं , वही टेंडर भर सकते हैं जो वेंडर इसमें असफल रहते हैं वे टेंडर प्रक्रिया से स्वतः बाहर हो जाएँगे।

सामान्य नियम एवं शर्तें :-

कार्य क्षेत्र:-

कार्य का क्षेत्र सभी एयर कंडीशनर , रिमोट एवं स्टेबलाइजर इत्यादि तक विस्तारित होगा ।

रखरखाव में सभी पार्ट्स इत्यादि का प्रतिस्थापन शामिल होगा जो की अवधि में खराब पाए जाएंगे। वेंडर द्वारा AMC में कवर होने वाले /कवर नहीं होने वाले सामानों की सूची स्पष्ट रूप से देनी होगी ।

सेवा स्तर एवं अनुपालन :-

सभी मरम्मत एवं सेवा कार्य कार्यालय में होंगे। कार्यालय से कोई भी एयर कंडीशनर, रिमोट एवं स्टेबलाइजर इत्यादि बिना अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति के बाहर नहीं ले जाया जाएगा। वेंडर की लापरवाही से सरकारी संपत्ति को हुए किसी नुकसान के लिए वेंडर उत्तरदायी होगा।

किसी भी आवश्यक परिस्थिति में अगर कोई एयर कंडीशनर, रिमोट एवं स्टेबलाइजर इत्यादि कार्यालय से बाहर के जाया जाय तो उसके बदले रक्षित (स्टैंड बाय) उपकरण उपलब्ध कराना होगा। मरम्मत के लिए ले जाए गए उपकरणों की मरम्मत वेंडर अपनी ज़िम्मेदारी एवं खर्च पर करेंगे।

वेंडर की लापरवाही से अगर किसी उपकरण को नुकसान होता है या क्षति पहुँचती है तो उसे वेंडर द्वारा ठीक किया जाएगा या उसके बदले नया उपकरण कार्यालय में लगाना पड़ेगा।

संविदा, दिए जाने के एक साल की आवधि तक मान्य होगी बशर्ते सेवा संतोषजनक हो। हर तीन महीने पर सेवा की समीक्षा की जाएगी। अगर विभाग सेवा संतोषजनक पाता है तो इस संविदा की नवीनीकरण एक वर्ष के लिए किया जा सकता है।

यह टेंडर अहस्तान्तरणीय होगा। किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए अधीक्षक (डी डी ओ), मुनाफाखोरी रोधी महानिदेशक से संपर्क किया जा सकता है।

वेंडर, निविदा जमा करने से पहले, एयर कंडीशनर के सही ढंग से कार्यरत होने की जांच कर सकते हैं।

अगर कोई वेंडर जिसे संविदा आदेश दिया गया है, कार्य को पूरा करने में असमर्थ होता है तो इस के लिए उसे विभाग को क्षति पूर्ति देनी होगी उसकी EMD की राशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

इस तरह कार्य से पीछे हटने पर वेंडर विभाग के साथ भविष्य में किसी भी तरह के लेन देन या कार्य व्यवहार से वंचित होगा (अथार्त काली सूची में डाला जाएगा) और उसकी सुरक्षा राशि भी जब्त हो जाएगी। विभाग किसी भी या सभी टेंडर को निरस्त करने का अधिकार रखता है।

अगर वेंडर की सेवाएँ संतोषजनक नहीं पाई गईं तो बिना कोई कारण बताए 30 दिन के नोटिस के आधार पर संविदा निरस्त की जा सकती है। इस संबंध में रक्षोपाय महानिदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

विभाग को वेंडर के वर्कशाप साइट / आधारीक संरचना की जांच करने का अधिकार होगा। इस संबंध में मुनाफाखोरी रोधी महानिदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

विभाग किसी भी समय AMC में शामिल उपकरणों की संख्या घटा बड़ा सकता है AMC की दरें उसी अनुसार घटा बड़ा सकेंगे ।

वेंडर को सुनिश्चित करना होगा कि सभी उपकरण AMC की पूरी अवधि में सही ढंग से कार्यरत रहें और AMC खत्म होने के समय विभाग को उसी हाल में सौंपा जाए।

सेवा (प्रक्रिया एवं स्तर)

प्रतिक्रिया समय:- वेंडर को AMC अवधि के दौरान किसी भी शिकायत मिलने पर प्रतिक्रिया समय का पालन करना होगा । कॉल सभी कार्यालय दिवस में सोमवार से शुक्रवार तक 9.30 प्रातः से 6 बजे शाम तक निपटाना पड़ेगा।

स्वीकार्य समय एवं दंड :- सभी शिकायतें 24 घंटे के अंदर दूर हो जानी चाहिए। देर होने पर दंड स्वरूप राशि उनकी AMC की कीमत से काटा जाएगा अगर वेंडर कोई कार्यरत स्टैंड बाय उपकरण मुहैया कराता है तो कोई दंड नहीं लिया जाएगा ।

कॉल रिपोर्ट : वेंडर द्वारा दैनिक कॉल रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसमें सभी शिकायतें एवं उन्हें दूर करने का विवरण होगा। साथ यह कॉल रिपोर्ट जरूरत पड़ने पर विभाग द्वारा जाँची जा सकती है और सेवा के सत्यापन हेतु इस्तेमाल हो सकती है । कोई भी दंड , इस कॉल रिपोर्ट के सत्यापन /जांच के उपरांत हो लागू किया जाएगा।

दंड :-

दंड निम्न प्रकार होंगे -

शिकायत 24 घंटे में निपटाने पर

शून्य

चोबिस घंटे के बाद निबटाने पर

500 /- रुपए प्रतिदिन

अगर वेंडर किसी उपकरण को नियत समय में ठीक नहीं कर पाते हैं और इसे किसी और कंपनी/फार्म इत्यादि से ठीक करवाया जाता है तो इस पर होने वाल खर्च व्नेडर को दी जान वाली की राशि से काटा जाएगा । साथ ही , ये AMC के रद्द होने का कारण भी बन सकता है।

भुगतान:-

कोई भी अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा । भुगतान सेवाओं के संतोषजनक होने की स्थिति में तिमाही किया जाएगा भुगतान TTDS राशि में से दंड , की राशि घटाने के बाद बची राशि ही भुगतान होगी । अगर कोई दंड की राशि कटने से शेष रही हो तो उसे अगली तिमाही में काटा जाएगा।

किसी भी भुगतान का आधिक्य , AMC के रद्द होने की स्थिति में विभाग को वापिस लौटाया जाएगा ।

किसी अपरिहार्य कारणों से अगर भुगतान में देरी होती है तो वेंडर को किसी भी तरह के कानून प्रक्रिया का अधिकार नहीं होगा। भुगतान RTGS, NEFT के द्वारा किया जाएगा। अतः वेंडरों से अनुरोध है कि वे अपना खाता संख्या, बैंक का नाम शाखा इत्यादि का विवरण अवश्य दें ।

टेंडर जमा करने की प्रक्रिया

सभी वेंडरों से अनुरोध है कि वे अपना टेंडर “एयरकंडीशनर के वार्षिक रखरखाव हेतु टेंडर “ लिखे लिफाफे में अधोहस्ताक्षरित को 31.05.2022 के 11.00 बजे तक भेज दें। टेंडर दो भागों में “तकनीकी “ एवं व्यवसायिक शीर्षक के साथ जमा करना होगा । “तकनीकी “ निविदा में तकनीकी विशेषज्ञता से संबंधित दस्तावेज शामिल हो। दस्तावेजों की मूल प्रति भविष्य में विभाग द्वारा मांगी जा सकती है । व्यवसायिक निविदा में सभी नियम एवं शर्तों के आधार पर प्रदान की जाने वाली सेवा की दर होगी । निविदाकार किसी भी कार्य दिवस में 11 बजे से 4 बजे के बीच उपकरणों का निरीक्षण कर सके हैं इस उद्देश्य हेतु वे अधीक्षक(डी डी ओ) से संपर्क कर सकते हैं।

सभी मुहरबंद निविदाएं इस कार्यालय के सम्मेलन कक्ष न 3 में 31.05.2022 को 03.00 बजे अपराहन खोली जाएगी । सभी निविदाकार कृपया स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित दर्ज कराएं।

(रमिंदर सिंह)

सहायक आयुक्त

प्रति प्रेक्षित :

नोटिस बोर्ड (सूचना पट्ट)

कार्यालय वेबसाइट

सी बी ई सी

- हिन्दी प्रारूप में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर कृपया अंग्रेजी प्रारूप का संदर्भ लें ।